न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर केम्प बायतु

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी पत्र संख्या 03/2013

प्रार्थीगण

1. हरजीराम पुत्र सोनाराम
2. तुलछाराम पुत्र सोनाराम
   जाति मेगवाल निवासी
   बायतु पनजी तहसील
   बायतु जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. नरपत पूनड़ पुत्र गोरखाराम
   जाति मेगवाल
2. श्रीमती सरोज पत्नी तगाराम
   जाति जाट निवासी नरसाली
   नाड़ी तहसील बायतु जिला
   बाड़मेर
3. ग्राम पंचायत बायतु पनजी
   जरिये सरपंच

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 20 दिनांक 25.2.2012 ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. प्रार्थी संख्या 01 एवं विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित।
2. प्रार्थी के वकील उपस्थित।
3. विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के वकील उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 09.06.2017**

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 25.2.2012 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 01 ने सरंपच ग्राम पंचायत बायतु पनजी के समक्ष एक आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत बायतु पनजी की आबादी भूमि पर उसका कब्जा है, जिस पर आवास बनाने हेतु विक्रय विलेख जारी किया जावें। इस पर ग्राम पंचायत बायतु पनजी ने पत्रावली कायम कर विप्रार्थी संख्या 01 को पंचायती राज अधिनियम के नियम 156(1)(क) के तहत पट्टा संख्या 20 दिनांक 25.2.2012 को जारी किया। प्रार्थी का यह कथन हैं कि विप्रार्थी संख्या 03 ग्राम पंचायत बायतु पनजी ने विप्रार्थी संख्या 01 को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 156 के प्रावधानों के विपरीत पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत बायतु पनजी से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केम्प कोर्ट बायतु में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। प्राथी संख्या 01 व विप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित। प्रार्थी संख्या 02 एवं विप्रार्थी संख्या 02 से 03 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित।

5. प्रार्थी के वकील द्वारा लिखित में बहस पेश कर जाहिर किया कि धारा 157 (क) के तहत 50 वर्षो से पुराने बने मकान को विनियमित करने का प्रावधान है, परन्तु विप्रार्थी 01 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया है वह भूखण्ड का है। जारी पट्टा फर्जी होना इस तथ्य से स्पष्ट है कि जिस दिन आवेदन पेश किया उसी ही दिन में पड़ौसियो के बयान कलमबद्व करना। दिनांक 20.8.2011 के आदेश में यह स्पष्ट नहीं हैं कि मौका कमेटी कब बनी, मौका कब देखा गया। आवेदन 3.8.2011 को पेश हुआ उसी दिन 60/- रूपये शुल्क जमा किये गये। आवेदन पत्र धारा 157 (ख) में किया गया जबकि पट्टा धारा 157 (क) में किया गया गया। विप्रार्थी संख्या 03 ने नियम विरूद्व पट्टा विप्रार्थी संख्या 01 को जारी किया, इसी कारण विप्रार्थी संख्या 01 ने कुछ माह बाद उक्त भूखण्ड का बेचान विप्रार्थी संख्या 2 को कर दिया, इससे भी स्पष्ट होता हैं कि समस्त कार्यवाही फर्जी तरीके से की गई। निरगानी दर्ज होने के बाद विप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई तथा जवाब पेश करने के अवसर दिये गये परन्तु किसी भी विप्रार्थी के द्वारा न तो जवाब पेश किया गया एवं न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किये। इससे यह साबित होता हैं कि प्रार्थी द्वारा पेश की गई निगरानी स्वयंमेव सही है।

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

6. विप्रार्थी संख्या 02 व 03 के वकील द्वारा कथन किया गया कि ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए, पट्टा जारी किया गया है। जारी किये गये उक्त पट्टे में प्रार्थी द्वारा कोई विधिक त्रुटि होना साबित नहीं किया गया। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया। आवेदन पर मौका देखने हेतु कमेटी का गठन किया गया। गठित कमेटी द्वारा मौका निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत को दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा जारी किया गया। जो नियमानुसार सही है। अतः प्रार्थी द्वारा पेश निगरानी खारिज की जावें।

7. हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली व ग्राम पंचायत बायतु पनजी से प्राप्त रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया। विप्रार्थी संख्या 03 ग्राम पंचायत बायतु

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

पनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 को निगरानाधीन पट्टा संख्या 20 दिनांक 25.2.2012 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1)(ख) के तहत जारी किया गया है। नियम 157 (1) जहॉ व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो वहॉ (ख) अनुसार इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान् बने पुराने मकानो हेतु रूपये 200/–जमा करवा कर ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करवाया जा सकता हैं। विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा दिनांक 3.8.2011 को ग्राम पंचायत बायतु पनजी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा जारी करने हेतु निवेदन किये जाने पर मिसल संख्या 20/11–12 कायम की गई। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 5.8.2011 में प्रस्ताव संख्या 2 पारित कर मौका कमेटी से मौका स्थल का निरीक्षण कर प्रतिवेदन पेश करने का निर्णय लिया गया। मौका निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.8.2011 प्रस्ताव पारित कर आपतियॉ चाही गई, निर्धारित अवधि में इस संबंध में कोई आपति प्राप्त नहीं होने पर विप्रार्थी संख्या 01 से शपथ पत्र प्राप्त कर नियम 157(1)(ख) अनुसार राशि रूपये 200/– जमा किये जाकर ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 को पट्टा संख्या 20 दिनांक 25.2.2012 जारी किया गया। इस प्रकार ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा विधिवत सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करते हुए, विप्रार्थी संख्या 01 के पुराने कब्जे की आबादी भूमि का विक्रय विलेख संख्या 20 दिनांक 25.2.2012 जारी किया गया है, जो नियमानुसार सही होना पाये जाने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत निगरानी खारिज योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण की निगरानी खारिज की जाकर ग्राम पंचायत बायतु पनजी द्वारा विप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 25.2.2012 को यथावत रखा जाता है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

आदेश केम्प कोर्ट बायतु में आज दिनांक 09.06.2017 को सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)